डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web: www.dfccil.gov.in

No. HQ/PIO/RTI/192/15

Date: 28.05.2015

श्री शिवाकान्त उर्फ रामू तिवारी,
पुत्र कृष्ण कुमार,
उमरी दिबियापुर,
जनपद– औरैया।

ED 88390105 5 IN

Sub: Information under RTI Act- 2005.
Ref.: Your application dt.25.04.2015, received in this office on 29.04.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:–

आपके उपरोक्त संदर्भित आवेदन में कतिपय सूचनाएं कि मांग कि गई है जिसके जांचने के उपरांत आपको अवगत कराया जाता है कि सूचना अधिकार नियम के तहत केवल वे हि सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है जो सूचना कि परिभाषा में आती है।

आपकी जानकारी के लिए आरटीआई एक्ट के तहत सूचना कि परिभाषा निम्न प्रकार है:–

"सूचना" से किसी इलैकट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है।

इसके अतिरिक्त DoPT के पत्र सं. 1/7/2009– आई. आर. दिनांक 01.06.2009 के अनुसार, "लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है, किन्तु इस बात का कारण संसूचित किए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया। औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।"

साथ ही DoPT के पत्र सं. 11/2/2008– आई. आर. दिनांक 10.07.2008 के तहत, "अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वह 'सामग्री' से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले गए 'निष्कर्ष' को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को 'सामग्री' उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।"

अन्ततः आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि जिन सूचनाओं के संबंध में आपके पत्र में मांग कि गई है वह वाद सं. 15921/2013 जो कि आपके पिता द्वारा दायर किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित है और आरटीआई एक्ट कि धारा 8(ज) के तहत ऐसी सूचना देने कि बाध्यता नहीं होगी। इसके अतिरित जो भी दस्तावेज या सूचना न्यायालय में प्रेषित कि जाती है या कि जाएगी आपके पिता/वादी को स्वतः हि मिलेगी।

ED 88390104 1 IN

(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to:- CPM/Tundla